



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

## भारताचे राजपत्र

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
असाधारण

भाग 12 अनुभाग 1  
Part XII Section 1

भाग द्वारा अनुभाग १

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

प्राधिकाराद्वारे प्रकाशित

सं. 1 ]	नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 1998/16 आश्विन, (शक) 1920	[ खण्ड 9
No. 1 ]	NEW DELHI, 8 OCTOBER 1998/16 ASHWINA, (SAKA) 1920	[ Vol. 9
अंक १ ]	नवी दिल्ली, ८ ऑक्टोबर १९९८/१६ आश्विन, (शके) १९२०	[ खंड ९

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

विधी और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 1998/16 आश्विन, (शक) 1920

(1) दि इनलॅण्ड वॉटरवेज अथॉरोटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1985, (2) दि नॅशनल हायवे अथॉरोटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1988, (3) दि ट्रान्सप्लान्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, 1994, (4) दि टेररिस्ट अॅफेक्टेड एरिया (स्पेशल कोर्ट्स) एक्ट, 1984, (5) दि एम्प्लॉईज स्टेट इन्स्युरन्स एक्ट, 1948, (6) दि फॉरिन मॅरेज एक्ट, 1969 के मराठी अनुवाद राष्ट्रपती के प्राधिकार से प्रकाशित किये जाते हैं और ये प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन उनके मराठी प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, dated 8th October 1998/16 Ashwina (Saka) 1920

The Translations in Marathi of the (1) The Inland Waterways Authority of India Act, 1985, (2) The National Highways Authority of India Act, 1988, (3) The Transplantation of Human Organs Act, 1994, (4) The Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984, (5) The Employees State Insurance Act, 1948, (6) The Foreign Marriage Act, 1969 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Marathi under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

